ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे0 मि0 केस सं0–19 / 2021–22

बन्धु उरॉव बनाम् रैयान, मौजा–पीपरा

21-02-2023

–: आदेश :–

वर्तमान वाद आवेदक बन्धु उरॉव, पे0–स्व0 पांचु उरॉव, साकिन–पीपरा, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा–पीपरा नं0–316, जमाबंदी नं0–40 के अन्तर्गत कुल रकवा 46–10–06 धूर भूमि पर दखल दिलाने से संबंधित है, के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ किया गया। तद्नुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–78 / रा0, दिनांक–28.01.2023 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि प्रासंगिक भूमि विवाद जमाबंदी रैयत के वंशज में मात्र पुत्री ही रहने के कारण आपसी बँटवारा से संबंधित है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

21.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

21.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Bonde Kumar Singh
Ad
17/04/23

Seen
Subhash chandra chaudhary
Adv
17.04.23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.19 13:33:03 +05:30
Location: 192.168.8.116